

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

क्रमांक : 161/2004



सत्यमेव जयते

Copy - Not Official

01. कालूलाल पुत्र चतरा जाति मेहर निवासी सीमल्या तह0 मांगरोल मृतक

- 1/1 कन्हैयालाल पुत्र
- 1/2 भीमराज पुत्र
- 1/3 बनवारी पुत्र
- 1/4 गजेन्द्र कुमार पुत्र
- 1/5 जितेन्द्र कुमार पुत्र
- 1/6 राकेश कुमारी पुत्री
- 1/7 मुन्नी बाई उर्फ मनु पुत्री
- 1/8 बद्री बाई बेवा

श्री कालूलाल जाति मेहर निवासीगण सीमल्या तह0
मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

01. नीमचन्द पुत्र

02. चौथमल पुत्र

- 2/1 मोत्या बाई
 - 2/2 शांती बाई
 - 2/3 कांती बाई
 - 2/4 बसंती बाई
- पिसरान मांगीलाल जाति मेहर निवासीगण सीमल्या तह0 मांगरोल
हाल निवासी सीमली तह0 बारां

03. छोट्या

04. मंगी बाई उर्फ मन्नी बाई

पिसरान चतरा जाति मेहर निवासी सीमल्या तह0 मांगरोल

05. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण कम संख्या 1, 2, 2/1 ता 2/4 : श्री कर्मवीर शर्मा

संख्या 3 व 4 : श्री हरीश राजावत

दिनांक: 12.07.2004

निर्णय दिनांक : 27.06.2018

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक दिनांक 09.01.2018 की पालना में तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा अपने पत्र संख्या/नू३३०/18/5 दिनांक 27.06.2018 से ग्राम शाहपुरा जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 12/0.29, 42/0.96, 252/1.57, 517/0.90, 524/0.76, 527/0.73, 528/0.17, 533/0.781/828-0.57 किता 9 रकबा 6.53 है० नेमीचंद, चौथमल पुत्र मांगीलाल मोत्या बाई शांती बाई, कांती बाई बसन्ती बाई पुत्रीयां मांगीलाल हिस्सा 1/2 छोद्या पुत्र चतरा मंगी बाई पुत्री चतरा हिस्सा 1/3 कन्हैयालाल भीमराज बनवारी गजेन्द्र जितेन्द्र पुत्रान कालू राकेश बाई मुन्नी बाई पुत्रियां कालू हि० 1/6 जाति मेहर साकिनदेह रहन एचकेजीबी मांगरोल हिस्सा छोद्या कालू के वारिसान रहन बीआरकेजीबी चतुर्थल हि० चौथमल, शान्तिबाई दर्ज है। मुताबिक निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में कालूलाल के वारिसान (वादीगण) को हिस्सा 1/3 खातेदार घोषित किया गया व शेष हिस्सा 2/3 में कालूलाल के वारिसान व चतरा के वारिसान तथा मांगीलाल के वारिसान को समान हिस्सा का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर निम्न प्रकार पेश है:-

01. कन्हैयालाल भीमराज बनवारी गजेन्द्र जितेन्द्र पुत्रान कालू राकेश बाई मुन्नी बाई पुत्रियां कालू जाति मेहर सा० देह खातेदार को खसरा नं० 42 रकबा 0.96 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 30.72 रू०, खसरा नं० 533 रकबा 0.70 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 22.40 रू०, खसरा नं० 781/828 रकबा 0.51 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 16.32 रू०
02. कन्हैयालाल, भीमराज, बनवारी, गजेन्द्र जितेन्द्र पुत्रान कालू राकेश बाई मुन्नी बाई पुत्रियां कालू हिस्सा 1/3 छोद्या चतरा मंगी बाई पुत्री चतरा हिस्सा 2/3 जाति मेहर सा० देह खातेदार को खसरा नं० 12 रकबा 0.29 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 9.28 रू०, खसरा नं० 514 रकबा 0.90 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 28.80 रू०, खसरा नं० 524 रकबा 0.76 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 24.32 रू०, खसरा नं० 527 पूर्वी रकबा 0.23 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 7.36 रू०
03. नेमीचंद, चौथमल पुत्र मांगीलाल मोत्याबाई, शांती बाई, कांती बाई बसन्ती बाई पुत्रियां मांगीलाल जाति मेहर निवासी सा० देह खातेदार को खसरा नं० 252 रकबा 1.51 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 48.32 रू०, खसरा नं० 527 पश्चिमी रकबा 0.50 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 16.00 रू० खसरा नं० 528 रकबा 0.17 है० किस्म नहरी प्रथम लगान 5.44 रू०

तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प शाहपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a signature and some illegible text.